

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5016/2026

Rajendra Kumar S/o Netram, Aged 28 Years, R/o Chainpura,
Police Station Malarnadungar, District Sawai Madhopur.
(At Present Confined In District Jail, Sawai Madhopur).

----Accused-Applicant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Applicant(s) : Mr. Tarun Jain, Adv.

For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR
(VACATION JUDGE)

Order

03/06/2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना-पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-बौली, जिला-सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-78/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 341(2) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में पेश किया गया है।
2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। प्रार्थी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि उसने कथित रूप से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई की यात्रा की है। उनका यह भी तर्क रहा है कि फर्जी पासपोर्ट बनवाने के संबंध में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। प्रार्थी-अभियुक्त को दिनांक 14.03.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थी-अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा प्रार्थी-अभियुक्त के खिलाफ 10 अन्य आपराधिक प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध होना पाया गया है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन-पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।
4. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट पर विदेश यात्रा करने का आरोप है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 14.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
6. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **राजेन्द्र कुमार पुत्र नेतराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-78/2026, पुलिस थाना-बाँली, जिला-सवाई माधोपुर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु प्रार्थी-अभियुक्त **एक लाख रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा **पचास-पचास हजार रुपये** की दो तस्दीकशुदा सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा प्रार्थी-अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी-अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),V.J.